कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-विज्ञप्ति

दिनांकः- 22.01.2026

विषयः- धोखाधड़ी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त थाना चेतगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कमिश्नरेट वाराणसी में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त,काशी जोन के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज व प्रभारी निरीक्षक चेतगंज के नेतृत्व में थाना चेतगंज पुलिस द्वारा दिनांक-22.01.2026 को मु.अ.सं.- 112/2025, धारा-316(2), 318(4), 338, 336(3), 352, 351(2) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त देवेश मिश्रा पुत्र देवेन्द्र कुमार मिश्रा निवासी 03 ओल्ड गेस्ट हाउस सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष को संम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की बाउन्ड्री वाल के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना चेतगंज पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक-14.06.2025 को वादी की लिखित तहरीर बाबत् प्रतिवादीगण देवेश मिश्रा आदि 02 नफर द्वारा वादी के भांजे व उसके अन्य 02 दोस्त का एडमीशन बी0एच0यू0 वाराणसी में कराये जाने के नाम पर विभिन्न प्रकार के बी0एच0यू0 वाराणसी सम्बन्धित कूटरचित रसीद व कागजात् उपलब्ध कराकर वादी को विश्वास दिलाकर तीनों विद्यार्थियों के खाते से धोखे से अलग-अलग कुल 170228/- रुपये ट्रान्सफर करा लेने व एडमिशन न होने की दशा में रुपये वापस माँगने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु.अ.सं.- 112/2025, धारा-316(2), 318(4), 338, 336(3), 352, 351(2) BNS में विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त देवेश मिश्रा पुत्र देवेन्द्र कुमार मिश्रा निवासी 03 ओल्ड गेस्ट हाउस सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी को गिरफ्तार किया गया। अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- देवेश मिश्रा पुत्र देवेन्द्र कुमार मिश्रा निवासी 03 ओल्ड गेस्ट हाउस सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान- स्थान- संम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की बाउन्ड्री वाल के पास, दिनांकः- 22.01.2026

आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं.- 71/2025, धारा- 316(2), 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 351(2) थाना चौक जनपद वाराणसी।
2. मु.अ.सं.- 05/2024, धारा- 316(2), 318(4), 351(2) BNS साइबर क्राइम थाना जनपद चन्दौली।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 श्री विजय कुमार शुक्ला थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 संदीप कुमार सिंह चौकी प्रभारी नाटीइमली थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी।
3. आरक्षी पुनीत कुमार थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी।
4. आरक्षी अश्वनी सिंह सर्विलांस सेल कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।